



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 नवम्बर, 2021

अग्रहायण 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या 2206/33-3-2021-101 जी0आई0-2011

लखनऊ, 23 नवम्बर, 2021

### अधिसूचना

सा0प0नि0-92

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (पंचम संशोधन), नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदधारण करने वाले व्यक्ति पर लागू होगी जिसमें वर्तमान पदधारक सम्मिलित है।

संक्षिप्त नाम,  
प्रारम्भ और  
लागू होना।

नियम 4 का  
संशोधन

2— उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों), नियमावली, 1994 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

**विद्यमान नियम**

आयुक्त छः वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु कोई आयुक्त अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना पद धारण नहीं करेगा।

स्तम्भ-2

**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

आयुक्त छः वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यह कि कोई आयुक्त सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना पद धारण नहीं करेगा।

आज्ञा से,  
मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

-----

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2206/XXXIII-3-2021-101 G.I.-2011, dated November 23, 2021 :

No. 2206/ XXXIII -3-2021-101 G.I.-2011

*Dated Lucknow, November 23, 2021*

IN exercise of the powers conferred by Article 243-K of the Constitution *read* with the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh State Election Commission (Panchayat Raj and Local Bodies) (Appointment and Condition of Services) Rules, 1994.

**THE UTTAR PRADESH STATE ELECTION COMMISSION (PANCHAYAT RAJ AND LOCAL BODIES) (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICES) (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2021**

Short title  
commencement  
and applicabilty

1. (1) These rules may be called the The Uttar Pradesh State Election Commission (Panchayat Raj And Local Bodies) (Appointment And Condition of Service) (Fifth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Gazette*.

(3) It shall apply to the person holding the office of the State Election Commissioner including the present incumbent.

Amendment of  
rule 4

2. In the Uttar Pradesh State Election Commission (Panchayat Raj And Local Bodies) (Appointment And Condition of Service) Rules, 1994, for rule 4, set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1

*Existing Rule*

The Commissioner shall hold for a term of six years:

Provided that no Commissioner shall hold office after he has attained the age of sixty eight years.

COLUMN-1

*Rule as hereby substituted*

The Commissioner shall hold office for a term of six years:

Provided that no Commissioner shall hold office after he has attained the age of seventy years.

By order,  
MANOJ KUMAR SINGH,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 455 राजपत्र-2021-(1019) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 79 सा0 पंचायतीराज-2021-(1020) 100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

455 RPH (panchayti raj folder) niyamawali -3 -2021 data-4E